संख्या–वे0आ0–2– 800 / दस–2010–44(एम) / 2001 टी0सी0

प्रेषक,

अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त सचिव / प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 16 जुलाई, 2010

विषयः– प्रदेश के वाहन चालक संवर्ग के पदधारकों के लिये समयमान वेतनमान / ए0सी0पी0 की व्यवस्था के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन समिति (1997–99) / मुख्य सचिव समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों पर प्रदेश के राजकीय विभागों के वाहन चालक संवर्ग के संवर्गीय ढ़ाँचें का पुनर्गठन एवं वर्तमान पदधारकों के पुनर्गठित ढ़ाँचें में समायोजन की व्यवस्था शासनादेश संख्या–वे0आ0– 2–433 / दस–2005–44 / 2001 टी0सी0 दिनांक 11 मई, 2006 एवं शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–624 / दस–2007–44 / 2001 टी0सी0 दिनांक 21 जून, 2007 द्वारा की गयी थी। उक्त निर्णयों का प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वयन किये जाने हेतु शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1244 / दस–2009–44 / 2001 टी0सी0 दिनांक 16 सितम्बर, 2009 एवं शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1597 / दस–2009–44 / 2001 टी0सी0 दिनांक 10 नवम्बर, 2009 निर्गत किये गये हैं।

2. उपर्युक्त निर्णयों के कम में वाहन चालक संवर्ग के पदों का पुनर्गठन करते हुए पुनर्गठन के फलस्वरूप उपलब्ध पदों के सापेक्ष वर्तमान पदधारकों को समायोजन का लाभ अनुमन्य कराये जाने के फलस्वरूप कतिपय विभागों में उक्त संवर्ग के पदधारकों को वित्त विभाग के 'शासनादेश दिनांक 02 दिसम्बर, 2000 एवं इस कम में निर्गत अन्य शासनादेशों के माध्यम से लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ अनुमन्य नहीं कराये जा रहें हैं, की स्थिति संज्ञान में लायी गयी है।

3. उपर्युक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट करने की मुझसे अपेक्षा की गयी है कि उपर्युक्त निर्णयों के कम में वाहन चालक संवर्ग के पदों का पुनर्गठन करते हुए पुनर्गठन के फलस्वरूप उपलब्ध पदों के सापेक्ष वर्तमान पदधारकों का समायोजन किये जाने से वाहन चालक संवर्ग के लिये समयमान वेतनमान की दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक लागू रही व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ यथावत् अनुमन्य रहेंगे। इसके उपरान्त शासनादेश दिनांक, 04 मई, 2010 की व्यवस्था के अनुसार दिनांक 01 दिसम्बर 2008 से प्रभावी ए0सी0 पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत देयलाभ भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।

भवदीय,

(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या–वे0आ0–2–800 (1) / दस–2010–44(एम) / 2001 टी0सी0 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु यथावश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
सायुक्त सचिव।

जी0एस0यू0पी0 ए0पी0 28 सा0 वित्त 21.7.2010 (656)–2002 प्रतियां (कम्प्युटर / आफसेट)